क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	26.3.21	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार वकील उपस्थित बहस पक्षकारान सुनी गई इसी मता पर प्रतिवादी वकील द्वारा प्रा-पत्र बाबत रकबा बराबरी की रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर वकील वादी ने नीचे ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया प्रतिवादी वकील ने अपने प्रा-पत्र का समर्थन करते हुए कथन किया कि जवाब सवाल के वादीगण के साबिक नम्बरे से हाल नम्बरे मे परिवर्तन होना स्वीकार किया है किन्तु प्रस्तावित दुरुस्ती मे नम्बरे मे कितनी कमी - बेशी होगी यह नहीं बताया है इस कारण प्रकरण वादी की रिपोर्ट मंगाई जावे जिसका जवाब देते हुए वकील वादी ने अपनी बहस मे बताया कि प्रकरण मे दोनो ही पक्ष साबिक नम्बरे अनुसार मौके पर काबिज है जमाबन्दी मे रकबा दोनो पक्षो का पूरा - पूरा है केवल वादी - गण के हाल नम्बरे को साबिक नम्बरे से छोटा कर दिया गया है जिस बाबत जवाब सवाल मे भी नम्बरा छोटा होना माना है जवाब सवाल मे स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि प्रस्तावित दुरुस्ती के बावजूद भी पक्षकारो का रकबा क्षेत्रफल मे कम नही होगा इस कारण प्रा-पत्र स्वीकार किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

फर्द अहकाम

न्यायालय _____

_____ वनाम _____

मुकदमा संख्या /वर्ष : _____ /20 _____

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		मैने उभय पक्ष की बहस सुनी एकमत किया चूंकि जवाब सवाल मे वादी के हाल नम्बरे व साबिक नम्बरे मे अन्तर होना स्वीकार किया है साथ ही जवाब सवाल मे यह भी स्पष्टरूप से वर्णित किया है कि प्रस्तावित दुरुस्ती से भी किसी भी पक्षकार का रकबा क्षेत्रफल मे कम नही होगा इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। उभय पक्षो की मूल वाद पर बहस सुनी जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है अतः वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर निम्नवत निर्णय हस्ताक्षर से लिखा जाकर एकमत पारित किया गया। निर्णय व डिक्री अनुसार तहसीलदार को पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली दैनिक कार्य होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

Scanned with CamScanner